भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 155B/2015-16

1.पुरुषोतम महतो 2. उग्रसेन महतो **बनाम** प्रफुलो महतो

.क	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, खरसावाँ के पत्रांक 22 दिनांक 04.01.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 155 B/2015-16 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. पुरुषोत्तम महतो 2. उग्रसेन महतो दोनों के पिता स्व0 जयराम महतो ग्राम-छोटा आमदा, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने गृह मरम्मति एवं हल-बैल खरीदने हेतु क्रेता प्रफुलो महतो, पिता-कुरसो महतो, ग्राम-बड़ा आमदा, थाना-खरसावाँ जिला-सरायकेला-खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

मौजा	**थाना न0**	**खाता न0**	**खेसरा न0**	**रकवा**
बड़ा आमदा	86	86	487	0.03½ एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पिता के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु उपरांत अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 3.66 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.03½ एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.62½ एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रति आवेदक दो एकड़ से कम भूमि बचने के कारण भूमि बिक्री करने की अनुमति नहीं दी सकती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

06/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner